



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647]
No. 647]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 1996/कार्तिक 17, 1918
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 1996/KARTIKA 17, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1996

का. आ. 778 (अ).—यतः श्री एम. जे. पिल्लै और श्री. के. एच. कन्नड को जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 947 (अ) दिनांक 01-12-1995 के तहत कांडला पत्तन कर्मचारी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांडला गोदी कामगार मंडल का सदस्य नियुक्त किया गया था, और

2. यतः सरकार ने श्री एम. जे. पिल्लै और श्री. के. एच. कन्नड को कांडला गोदी कामगार मंडल की सदस्यता से हटा दिया है, इसलिए कांडला गोदी कामगार मंडल में दो स्थान रिक्त हो गए हैं,
3. यतः अब, केन्द्र सरकार गोदी कामगार (रोजगार का विनियम) नियम, 1962 के नियम 4 के अनुसरण में उक्त रिक्तियों को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एल. बी.-13014/1/94-यू. एस. (एल.)-भाग-II]
के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Transport Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1996

S.O. 778 (E).—Whereas Shri M. J. Pillai and Shri K. H. Kannad were appointed as members of the Kandla Dock Labour Board representing the Kandla Port Karmchhari Sangh vide Notification of the Government of India, Ministry of Surface Transport (Transport Wing) No. S. O. 947 (E) dated 01-12-1995; and

2. Whereas Shri M. J. Pillai and Shri K. H. Kannad have been removed from the membership of the Kandla Dock Labour Board by the Government and thus, two vacancies have occurred on the Kandla Dock Labour Board ;
3. Now, therefore, in pursuance of Rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rule, 1962, the Central Government hereby notifies the said vacancies.

[F. No. L.B.-13014/1/94-U.S.(L) Vol. II.]
K. V. RAO, Jt. Secy.

